

Ref. No. IRDAI/DB 1111/2024

22<sup>nd</sup> October, 2024

Principal Officer, M/s. Aush Insurance Brokers Private Limited, WP-501, 3<sup>rd</sup> Floor, Rishi Building, Shiv Market, Wazirpur, Ashok Vihar, Delhi - 110052

Madam/Sir,

Sub: Grant of Certificate of Registration No. 1005 to act as a Direct Insurance Broker (Life & General).

यह पत्र आपके आवेदन दिनांक 08.05.2024 आई आर डी ए (इंशुरेंस ब्रोकर्स) रेगुलेशनस, 2018 के अंर्तगत एक प्रत्यक्ष (जीवन एवं साधारण) ब्रोकर्स के रूप में कार्य करने के संदर्भ में पंजीकरण प्राप्त करने हेतू प्रस्तुत की गयी थी। यहाँ प्राधिकरण बड़ी प्रसन्नता के साथ एक प्रत्यक्ष (जीवन एवं साधारण) ब्रोकर्स के रूप में आपको कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 1005 इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रदान करता है जो कि इस पंजीकरण प्रमाणपत्र के जारी करने की तारिख 22.10.2024 से तीन वर्ष के लिए वैध होगा।

- 2. बीमा ब्रोकिंग कारोबार का संचालन करने हेतू आप को निम्न बातों को सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है:
  - i) आप की इकाई एकमात्र इन विवनयमों के अधीन अनुमत रुप में इंशुरेंस ब्रोकर का व्यवसाय करने के लिये कार्य करेगा।
  - ii) आप की इकाई बीमा दलाल अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इसके अधीन जारी किये गये विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और अन्य किन्हीं अनुदेशों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।
  - иि आप की इंकाई द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत कोइ सूचना अथवा उनके द्वारा पुर्व में प्राधिकरण को प्रस्ततु विवरण असत्य पाया जाता है अथवा किसी विशिष्ट सामग्री के संबंध में सूचना भ्रामक पाइ जाती है अथवा यदि पहले से ही प्रस्तुत सूचना में कोइ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है तो आप की इंकाई तत्काल लिखित में इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा।
  - iv) आप की इकाई अपने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए ऐसी शिकायत के प्राप्त होने के 14 दिन के अंदर पर्याप्त कदम उठायेगा तथा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले फार्मेट में और तरीके से ऐसे ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्वरूप और अन्य विवरण के बारे में पाधिकरण को आवगत रखेगा।
  - v) आप की इकाई अपने संसाधनों तथा अपने द्वारा नियुक्त ब्रोकर अर्हता प्राप्त व्यक्तियो की संख्या के अनुरूप उचित संख्या में बीमा पॉलिसियों की उपेक्षा करेगा और ईन्हें प्राप्त करेगा।
  - vi) आप की इकाई प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में अभिलेख रखेगा जो पॉलिसी-वार ब्योरा ग्रहण करेंगे जिनमें जहां लागू हो वहाँ ब्रोकर अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों अथवा अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ आप की इकाई द्वारा अपेक्षित प्रत्येक पॉलिसि को संबद्ध किया जाएगा।
  - vii) आप की इकाई किसी भी परिस्तिथि में बीमा उत्पादों की अपेक्षा और प्राप्ति के लिए बहु-स्तरीय विपणन नहीं करेगा।

- viii) आप की इकाई अपने लिए लागू आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करेगा।
- ix) ब्रोकिंग इकाई में प्रमोटरों/शेयरधारकों आदि द्वारा रखे गए शेयरों में 3 साल की अवधि के लिए लॉक-इन होगा।
- x) आप की इकाई इन विवनयमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में खाता-बहियाँ रखेगा।
- xi) रिटर्न दाखिल करना प्राधिकरण के व्यापार विश्लेषिकी परियोजना (https://www.irdabap.org.in) के तहत निर्धारित प्रारूपों/रिटर्न के अनुसार, आपकी संस्था, सभी आविधक रिटर्न, विनि.39 के अनुपालन में अनिवार्यतः निर्दिष्ट समय के भीतर दाखिल करेगी। विवरणी दाखिल करने के निर्देश युक्त एक विस्तृत उपयोगकर्ता नियमावली निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है:-

विवरण	<u>लिंक</u>
रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए उपयोगकर्ता नियमावली	https://www.irda.gov.in/ADMINCMS/cms/Uploadedfiles/Broker User Manual.pdf (उपयोगकर्ता नियमावली डाउनलोड करने के लिए कृपया उपरोक्त लिंक को कॉपी कर अपने वेब ब्राउज़र में चिपकाएं)

कृपया ध्यान दें कि इस विनियम का पालन करने में कोई भी विफलता, इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट दंडात्मक कार्रवाई आकर्षित करेगी।

- xii) मैसर्स सेक्ट प्रा.लिमिटेड एक कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करना बंद कर देगा और इस बीमा ब्रोकिंग पंजीकरण की मंजूरी की तारीख से बीमा व्यवसाय करना बंद कर देगा।
- 3. नियम और लाइसेंस जारी करने की शर्तों को आप के द्वारा स्वीकार करते हुए विधिवत हस्ताक्षर द्वारा इस पत्र की एक प्रति वापस लौटायें।

This has reference to your application dated 08.05.2024 seeking grant of a Certificate of Registration to act as a Direct (Life & General) Broker under the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018. The Authority is pleased to grant you a Certificate of Registration No. **1005** to act as a Direct (Life & General) Broker and the said certificate is attached herewith, which is valid for a period of 3 years from the date of its issue i.e. 22.10.2024.

- 2. You are advised to ensure the following while conducting insurance broking business:
  - i) Your entity shall act exclusively to carry on the business of an insurance broker as permitted under these Regulations.
  - ii) Your entity shall comply with the provisions of the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and the Regulations, Circulars, Guidelines and any other instructions issued there under from time to time by the Authority.
  - iii) Your entity shall forthwith inform the Authority in writing, if any information or particulars previously submitted to the Authority by them are found to be false or misleading in respect of any material particular or if there is any material change in the information already submitted.
  - iv) Your entity shall take adequate steps for redressal of grievances of its clients within 14 days of receipt of such complaint and keep the Authority informed about the

- number, nature and other particulars of the complaints received from such clients in format and manner as may be specified by the Authority.
- v) Your entity shall solicit and procure reasonable number of insurance policies commensurate with their resources and the number of Broker Qualified Persons they employ.
- vi) Your entity shall maintain records in the format specified by the Authority which shall capture policy-wise details wherein each policy solicited by the Insurance Broker is tagged to the broker qualified person or other authorised persons, wherever applicable.
- vii) Your entity under no circumstance undertake multi-level marketing for solicitation and procuring insurance products.
- viii) Your entity shall ensure compliance of Code of Conduct applicable to it.
- ix) The shares held by the promoters/shareholders etc. in the broking entity shall have a lock-in for a period 3 years.
- x) Your entity shall maintain books of accounts as specified in these regulations.
- xi) Filing of returns Your entity shall file all periodical returns, in compliance with Reg.39, without fail within the time specified, as per the formats/returns prescribed under Authority's Business Analytical Project (<a href="https://www.irdabap.org.in">https://www.irdabap.org.in</a>). A detailed user manual containing instructions for filing of returns has been made available under the following link:-

Particulars	Link
User manual for return submission	https://www.irda.gov.in/ADMINCMS/cms/Uploadedfiles/Broker User Manual.pdf (Please copy and paste the above link in your webbrowser to download the user manual)

Please note that any failure to comply with this regulation shall attract penal action as specified under these regulations

3. Kindly return a copy of this letter, duly signed, by you in acceptance of the terms and conditions of the issue of the license.

Yours faithfully,

(Mohammad Ayaz)

**Deputy General Manager (Intermediaries)** 

संलग्नक :यथोक्त Encl.: As above





## भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण **INSURANCE REGULATORY AND** indai DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(बीमा दलाल) विनियम, 2018 (Insurance Brokers) Regulations, 2018 अनुसूची 1 - फॉर्म जे (विनियम 10 देखें) Schedule I - Form J (See Regulation 10)

पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीव	हरण संख्या
	tration No.: 1005
	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा अभे इंश्की रेन् की करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन नियाही कि की विवरण का उल्लेख कों) के रूप में कार्यकरने के लिए पंजीकरणप्रमाणप्रत्र प्रदान करता है।
	In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to
2.	उक्त बीमा दलाल के लिए पंजीक रणकू टहै
	Registration Code for the insurance broker is IRDAI / DB IIII / 2024
3.	यह पंजीक रणप्रमाणपत्र 22:10: 2029 से 21:10: 2027 तक बैध होगा।
	This certificate of registration shall be valid from 22:10:2024 to 21:10:2027
4.	यह पंजीक रणप्रमाणपत्र अधिनियम, बीमा विनियामक और विकासप्राधिक रणअधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारती बीमा विनियामक और
	विकासप्राधिकरण(बीमा दलाल) विनियम, 2018 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसीअन्य अधिनियम, नियमों
	अथवा विनियमों के अनुसार अथवा उनके अनुरुप है।
	This Certificate of registration is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules and regulations.
	आदेशानुसार
	स्थान Place: हेंदराबाद / Hyderabad By Order
- NO.	स्थान Place: हेंद्रश्वाद / मिम्रेजियकिके दिनांक Date: 22·10·2024 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India